जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.10.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. आनंद देव पाठक पुत्र कैलाश नाथ पाठक निवासी खिरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2.राजेश पुत्र परमात्मा चौधरी निवासी हरदी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष हरेश तिवारी, उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 संदीप,म0का0 पुजा चौहान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाइक से ठोकर लगने के कारण घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत भिटियाकला से कालर ने इवेन्ट संख्या 47208 से **सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाइक से ठोकर लगने के कारण घायल व्यक्ति** (संजय कुमार पुत्र मुन्ना निवासी लतेहर थाना लतेहर झारखण्ड) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0**आ0 संतोष कुमार पटेल, आ0 भीम सिंह यादव, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 05.10.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 309/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 16/17 पाक्सों एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र सत्य प्रकाश सिंह उर्फ बब्लू सिंह साकिन गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 ग्राम सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को हरदी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 03.10.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 05.10.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, कां0 सुरज रावत।